न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 128 / 2011
प्रविष्टि दिनांक 17.08.2011

1–श्री सुरेश पुत्र कालू जाति जाट निवासी पराना तहसील व जिला टोंक राज0
2–श्री सूरज पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पराना तहसील व जिला टोंक
3–मैसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड जरिये लीगल मैनेजर नवनीत प्रकाश माथुर पुत्र एस. पी.माथुर 6 बी मंजिल कोपरेटपार्क बिल्डिंग नियर गोपालबाडी अजमेर रोड जयपुर

–अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला–टोक –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 25.04.2011 मिसल नम्बर 03 / 2010

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक : 22.09.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 25.04.2011 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 876 रकबा 17 किस्म बारानी–3 वाके ग्राम पराना तहसील टोंक में 50 40 फुट भूमि मे एयर टेल टावर कम्पनी का मोबाईल टावर लगा होने से 90 ए के तहत आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी संख्या 3 के द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 व 2 से 50 गुणा 50 वर्ग फिट भूमि किराये पर लेकर जन उपयोगी सेवा हेतु मोबाइल टावर का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जारी समय समय पर [illegible] के तहत जनहित के प्रयोजनार्थ राज्य के विकास को गति देने के लिये [illegible]हित [illegible] भावना से प्रेरित होकर राज्य के दूर–दराज गॉवों तक दूरसंचार की सुगम सेवा [illegible]ब्ध कराने के उद्देश्य से प्रेरित होकर नियमानुसार निमार्ण किया गया है [illegible] क्षेत्र का प्र[illegible] किया जाता है। टावर की नियमन हेतु [illegible] है। अधीनस्थ न्यायाल[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलधीन आदेश अपीलार्थीगण को सुन बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है ।

अपीलार्थीगण के द्वारा श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के सर्कुलर क्रमांक एफ .2 (231) राजस्व/एलसी/2009 दिनांक 07 दिसम्बर 2009 के तहत सक्षम प्राधिकारी (वर्तमान नोटिफिकेशन दिनांक 26.04.2011 के तहत कन्वर्जन एवं नियमन की शक्तियों के विस्तार से सम्बंधित) उप खण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष भूमि के नियमन एवं भू–रुपान्तरण हेतु कन्वर्जन राशि जमा कराते हुए पेश कर दिया है। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट चाही जा रही है। मोबाइल टावर के द्वारा राज्य की जनता को अति महत्वपूर्ण दूरसंचार की सेवा प्रदान की जाती है। टावर की भूमि को नियमानुसार नियमित किये जाने के लिये खातेदार के साथ संम्बंधित मोबाइल कम्पनी को सीज/बंद की कार्यवाही से पूर्व सुने जाने व भूमि के नियमित किये जाने के लिये अनुज्ञा जारी की हुई है,परन्तु तहसीलदार के द्वारा अपीलार्थी को सुने बिना एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट्स ने भूमि खसरा नम्बर 876 रकबा 17 बिस्वा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम पराना तहसील टोंक में स्थित है। भूमि जमाबंदी सम्वत 2066 के खाता संख्या 643 के अवलोकन से अपीलांट संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे होना सिद्व है। अपीलांट उक्त भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजनार्थ करने के लिए शर्ताधीन है। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि मे हच कम्पनी का मोबाईल टावर लगा कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लिया जाना तथा खातेदारान ने उक्त शर्त भंग की है,जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि पर अवैध रूप से टावर का निर्माण किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा स्वंय की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर नम्बर 876 रकबा 17 बिस्वा भूमि किस्म बारानी–3 वाके ग्राम पराना तहसील टोंक मे से 50 40 फुट मे एयर टेल कम्पनी का अवैध टावर का निर्माण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने [illegible] कि उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी टोंक के [illegible] पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट [illegible] और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलधीन आदेश अपी[illegible] पक्षीय कार्यवाही की जाकर पारित किया गया है जो कि [illegible] सिद्धान्तों के विपरीत है,परन्तु उपखण्ड अधिकारी टोंक से संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाहे जाने पर उनके पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पत्र क्रमांक 781 दिनांक 31.05.2022 से अवगत करवाया है कि ग्राम पराना मे खसरा नम्बर 876 रकबा 0.2150 है0 किस्म बारानी–3 सुरज पुत्र बद्री हि0 1/2 जाति जाट व सुरेश पुत्र कालू हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह के नाम से खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पराना के खसरा नम्बर 876 रकबा 0.2150 है0 मे ल0गुणा चौ0 (50 गुणा 50) वर्ग फीट 2500 वर्गफीट मे मोबाईल टावर बना हुआ है जो **बरोनी** मे सिरस रोड से 400 फीट दूरी पर स्थित एंव यह टावर खसरा नम्बर 870 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक भूमि के नजदीक है। मौके पर गै0मु0 रास्ते के मध्य से 25 फीट की दूरी पर स्थित है,जिसमे 10 फीट गै0मु0 रास्ता सिवायचक व 15 फीट खातेदारी भूमि आवेदक (अपीलांट) की आती है। जबकि इण्डियन रोड कांग्रेस के अनुसार रास्ते बीच से टावर तक की दूरी 12.5 मीटर यानि 40 फीट होनी चाहिए थी। इस प्रकार प्रकरण मे टावर व रास्ते के मध्य 25 फीट की दूरी है। प्रकरण मे इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार संपरिवर्तन किया जाना उचित नही है का उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.01.2011 से स्पष्ट है कि अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 25.04.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested